न्यायालयः—सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर

आर.सी.एस—ए—592 / 2025

श्याम सोनी आदि
विरूद्ध
राम सोनी

आदेश दिनांक 30.10.2025

वादीगण की ओर से श्री प्रमोद गोहदकर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से श्री एल.पी.श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 3 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर विचार एवं आदेश हेतु नियत है।

वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 3 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य विवादित भवन संपत्ति के संबंध में स्वेच्छा पूर्वक राजीनामा हो गया है जो निम्नानुसार हुआ है। भू—खण्ड कमाक ए—7 / 181 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर स्थित यातायात नगर, ग्वालियर तथा भूखण्ड कमांक सी / 1 / 2 क्षेत्रफल 9.14 गुणित 15.2 कुल क्षेत्रफल 139.29 वर्गमीटर जिसका भवन कमांक 2553 है। विनय नगर सेक्टर 4 ग्वालियर के वादीगण वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भवन संपत्ति के समान भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी रहेंगें। उक्त भू—खण्ड क्रमांक ए—7 / 181 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर स्थित यातायात नगर, ग्वालियर तथा भूखण्ड कमांक सी / 1 / 2 क्षेत्रफल 9.14 गुणित 15.2 कुल क्षेत्रफल 139.29 वर्गमीटर जिसका भवन कमांक 2553 है। विनय नगर सेक्टर 4 ग्वालियर से प्रतिवादी राम सोनी का किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व संबंध नहीं रहेगा।

वादीगण का आवेदन आगे इस प्रकार है कि प्रतिवादी को घरू बंटवारा दिनांक 12.10.2011 के आधार पर माधौगंज ग्वालियर में स्थित भवन तथा छोटा बाजार घासमण्डी तानसेन टॉकिज के सामने, ग्वालियर में स्थित दुकान स्वामित्व एवं आधिपत्य में प्राप्त हुई है जिसका प्रतिवादी स्वामी एवं आधिपत्यधारी रहेगा इस संपित्त से वादीगण का किसी प्रकार का कोई स्वत्व संबंध नहीं रहेगा। उक्त संपत्ति का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य विधिवत् दिनांक 12.10.2011 को बंटवारा हो गया था जो वादीगण एवं प्रतिवादी को स्वीकार है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य उक्त भवन संपत्तियों को लेकर

अब कोई विवाद शेष नहीं है इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी ने स्वेच्छा से राजीनामा उक्त प्रकरण में किया है। राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। वादीगण एवं प्रतिवादी अपनी–अपनी संपत्ति पर राजीनामे के आधार पर नगर निगम आदि में नामांतरण कराने के अधिकारी होंगें। वादीगण एवं प्रतिवादी को एक–दूसरे की संपत्ति के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही वादीगण तथा प्रतिवादी के वारिसान को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। अतः प्रार्थना है कि राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। वादीगण तथा प्रतिवादी अपना–अपना प्रकरण व्यय वहन करेंगें। अन्य सहायता जो वादीगण एवं प्रतिवादी के हक में हो प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा वर्तमान प्रकरण प्रतिवादी राम सोनी के विरूद्ध वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्वत्व, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा समझौते के संबंध में अपने कथन न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये है। वादीगण द्वाराउक्त कथन के दौरान राजीनामा आवेदन के समर्थन में वादीगण के पिता के नाम का वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा विलेख दिनांक 07.09.1993 प्रदर्श पी0–2, दादी के पक्ष में निष्पादित वादग्रस्त दुकान का विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 26. 11.1991 प्रदर्श पी0–3, तीनों भाईयों के नाम पट्टा विलेख रजिस्टर्ड नवीनीकृत दिनांक 12.10.2023 प्रदर्श पी0–4, न्यायालय द्वारा दिया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदर्श पी0–5, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी0–6, दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी0–7 एवं मां का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी0–8, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का पत्र दिनांक 10.04. 2012 प्रदर्श पी0–9, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का पत्र दिनांक 19.01.2010 प्रदर्श पी0–10, ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा नामांतरण स्वीकृति का पत्र दिनांक 07.01.2013 प्रदर्श पी0–11, भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.03. 2013 प्रदर्श पी0–12, नगर निगम में जमा सम्पत्तिकर की रसीद प्रदर्श पी0–13, विक्रय पत्र दिनांक 23.01.1990 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी0–14 एवं घरेलू बंटवारा दिनांक 12.10.2011 प्रदर्श पी0–15 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रदर्श पी–1 के

राजीनामा आवेदन में उल्लेखित संपत्ति पर उभयपक्ष का स्वत्व एवं आधिपत्य होना तथा उक्त संबंध में घरेलू बंटवारा दिनांक 12.10.2011 प्रदर्श पी–15 का होना स्पष्ट होता है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार भी किया गया है।

ऐसी दशा में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा होना दर्शित नहीं है। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन प्रदर्श पी–1 स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती हैः–

1. घोषित किया जाता है कि घरेलू बंटवारा दिनांक 12.10.2011 के आधार पर वादीगण को भूखण्ड क्रमांक ए–7/181, क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर स्थित यातायात नगर ग्वालियर, भूखण्ड क्रमांक–सी/1/2, आकार 9.14 गुणित 15.2, क्षेत्रफल 139.29 वर्ग मीटर जिसका भवन क्रमांक–2553 स्थित विनय नगर सेक्टर 4 ग्वालियर तथा प्रतिवादी को माधौगंज ग्वालियर में स्थित पैतृक भवन बापूदण्डी की गोठ, ग्वालियर तथा छोटा बाजार घासमंडी तानसेन टॉकीज के सामने, ग्वालियर में स्थित दुकान जिसमें प्रतिवादी मेडीकल स्टोर चलाता है, के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।

2. राजीनामा आवेदन प्रदर्श पी–1, राजीनामा डिक्री का भाग होगा।

3. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेगे।

4. अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जो भी कम हो देय हो।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर नियम समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही/–

(श्रीमती संजू तिवारी)

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश,
वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, म0प्र0